6

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 79 / 2022

दायर दिनांक–06.05.2022

जीवराज सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरजनपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. कर्णसिंह पुत्र बहादुर सिंह
2. गिरधारी सिह पुत्र बहादुर सिंह
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह
4. शिवराज सिंह पुत्र बहादुर सिंह
5. किरण कंवर पुत्री बहादुर सिंह
6. जवाहर कंवर पुत्री बहादुर सिंह
7. हीरा कंवर पुत्री बहादुर सिंह
8. जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री दयाराम सैनी / पकंज कुमार जांगीड़**
वकील प्रति. : – **श्री जयपाल सिंह**
: – **श्री विकास कुमार सैनी**

<u>दावा</u> : <u>घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक– 27–09–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम सुरजनपुरा की सरहद में खाता संख्या नया 20 पुराना 57 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 250, 265 रकबा क्रमशः 2.52, 0.53 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.05 हैक्टर स्थित है, में वादी का हिस्सा 1/16 है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 प्रत्येक का हिस्सा 1/16–1/16 है तथा इसी हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 मौके पर काबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है। इस वाद में केवल वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 के हिस्से का ही विवाद है, अन्य सह–खातेदारो के हिस्से 1/2 से कोई विवाद नही है तथा न ही उनके हिस्से से संबंधित उक्त वाद–पत्र पेश है।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 2.52 हैक्टर खसरा नम्बर 265 रकबा 0.53 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.05 हैक्टर सम्वत् 2058–2061 की जमाबंदी अनुसार राजस्व ग्राम भोजनगर की सरहद में स्थित रही है तथा खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 के पिता बहादुर सिंह पुत्र बालूराम हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 के पिता बहादुर सिंह के फौत होने पर सम्वत् 2058 से [illegible] जमाबंदी में फौतगी नामान्तकरण संख्या 341 वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 व उनकी माता [illegible] कंवर के नाम से राजस्व रिकार्ड में भरा गया था, जिसमें वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] था परन्तु उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि को दुसरे राजस्व [illegible] खातेदारी सिर्फ प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 व उनकी माता उच्छव कंवर पत्नी बहादुर सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से वादी का नाम हटाकर राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज कर दिया [illegible] बदस्तुर आज तक गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी का भी 1/16 हिस्सा है, जिस पर वादी काबिज कश्त है। वादी ने दिनांक 05.05.2022 को बैंक से ऋण प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

करने हेतु अपनी इस भूमि की नकल ई–मित्र से निकलवाने तो वादी को पता चला कि वादी का वर्णित भूमि में नाम ही अंकित नही है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 2.52 हैक्टर व खसरा नम्बर 265 रकबा 0.53 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.05 हेक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा की सरहद में स्थित भूमि में वादी को हिस्सा 1/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/16–1/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 250, 265 रकबा क्रमशः 2.52, 0.53 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.05 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में स्थित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 की माता स्व0 उच्छव कंवर का नाम गलत रूप से दर्जशुदा चला आ रहा है, स्व. उच्छव कंवर का स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्थान पर अभी तक कोई नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ है, जिसके वासिान वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 है, जिनको खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इसलिये उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 2.52 हैक्टर व खसरा नम्बर 265 रकबा 0.53 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.05 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में स्थित भूमि में गलत रूप से दर्ज स्व0 उच्छव कंवर का नाम राजस्व रिकार्ड हटाया जाकर वादी को हिस्सा 1/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/16–1/16 का खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाना न्यायोचित है और इसी हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है तथा शेष हिस्सा 1/2 सह–खातेदारो का यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

वादी ने अपने वाद–पत्र में अनुतोष चाहा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 250, 265 रकबा क्रमश 2.52, 0.53 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.05 हैक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा में वादी को हिस्सा 1/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/16–1/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा गलत रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड से स्व0 उच्छव कंवर का नाम हटाया जाकर इसी हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिये जावे तथा शेष हिस्सा 1/2 सह–खातेदारो का यथावत रखा जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादी के पक्ष मे हो वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वार वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वकील श्री जयपाल सिंह ने वकालतनामा मय इकबाली जबवा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 व 9 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से वकील श्री विकास सैनी उपस्थित हो वकालतनामा पेश किया तथा जवाब नही देना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 8 का जवाब दावा बंद किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 04 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर वादी का वादी स्वीकार किया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 व 9 की एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा प्रतिवादी संख्या 8 का जवाब दावा बंद होने से प्रकरण में तनकीयात की आवश्यकता नही रहती है। फलस्वरूप तनीकयात कायम नही की गई।

तद्पश्चात शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं जीवराजसिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह एवं गवाहान् के रूप में शिवराज सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2058–2[illegible] करवाये गये।

शहादत प्रस्तुत होने बहस वादी अधिवक्ता [illegible] सुनी गई। वादी ने दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त स्पष्ट है कि ग्राम सुरजनपुरा की सरहद में खाता संख्या नया 20 पुराना 57 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 250, 265 रकबा क्रमशः 2.52, 0.53 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.05 हैक्टर स्थित है जो प्रदर्श –1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 से साबित है। वादग्रस्त भूमि मे वादी का हिस्सा 1/16 तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 प्रत्येक का हिस्सा 1/16–1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वाद में वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 के हिस्से का ही विवाद है, अन्य सह–खातेदारो के हिस्से 1/2 से कोई विवाद नही है। वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

खसरा नम्बर 250 रकबा 2.52 हैक्टर खसरा नम्बर 265 रकबा 0.53 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.05 हैक्टर सम्वत् 2058–2061 की जमाबंदी अनुसार राजस्व ग्राम भोजनगर की सरहद में स्थित रही है जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 के पिता बहादुर सिंह पुत्र बालूराम हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 के पिता बहादुर सिंह के फौत होने पर सम्वत् 2058 से 2061 की जमाबंदी में फौतगी नामान्तकरण संख्या 341 वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 व उनकी माता उच्छव कंवर के नाम से राजस्व रिकार्ड में भरा गया था, जिसमें वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था। परन्तु वर्णित वादग्रस्त भूमि को राजस्व ग्राम सुरजनपुरा में दर्ज करते समय खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 व उनकी माता उच्छव कंवर पत्नी बहादुर सिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज दी। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से वादी का नाम हटाकर राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज कर दिया तो बदस्तुर आज तक गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादग्रस्त भूमि में वादी का भी 1/16 हिस्सा है, जिस पर वादी काबिज कश्त है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 2.52 हैक्टर व खसरा नम्बर 265 रकबा 0.53 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.05 हेक्टर वाके ग्राम सुरजनपुरा की सरहद में स्थित भूमि में वादी को हिस्सा 1/16 का तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/16–1/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादी अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड गलत होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगणो पर अधिकारों कुठाराधात हुआ है। विवादित भूमि शामलाती खातेदारी की शामलाती पैतृक भूमि होना साबित होती है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वाद वादीगण साबित पाये जाने के फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सुरजनपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 250, 265 रकबा क्रमश 2.52, 0.53 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.05 हैक्टर में वादी को हिस्सा 1/16 का तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/16–1/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड से स्व0 उच्छव कंवर का नाम हजफ किया जाता है। शेष हिस्सा 1/2 सह–खातेदारो का यथावत रखा जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर मुताबिक मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:22 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 79/2022 (जीवराज सिंह बनाम कर्ण सिह आदि)

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27.09.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम सुरजनपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 250, 265 रकबा क्रमश 2.52, 0.53 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.05 हैक्टर में वादी को हिस्सा 1/16 का तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/16–1/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड से स्व0 उच्छव कंवर का नाम हजफ किया जाता है। शेष हिस्सा 1/2 सह–खातेदारो का यथावत रखा जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर मुताबिक मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.09.2022 को जारी की गई।

सहायक (दमयंती कंवर) पालक
(आर.ए.एस.) नवलगढ़
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:33:22 IST
Reason: SelfAttested